न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई०सी० वाद सं0—12 / 2012—13

राज्य बनाम विजय कुमार

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
16-3-18	**आदेश** प्रस्तुत वाद विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना के पत्र सं0 3760(अनु0) दिनांक 07.12.2011 के साथ पत्रकार नगर (कंकड़बाग) थाना कांड सं0 299/11 से दर्ज प्राथमिकी की छाया—प्रति एवं जप्ती—सूची प्राप्त हुआ। विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना के उक्त पत्र द्वारा प्रश्नगत कांड में जप्त समाग्रियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955 की धारा—6ए के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा किया गया है। जिसके आलोक में दिनांक 30.07.2012 को वाद प्रारम्भ किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री विजय कुमार, पिता स्व0 महेन्द्र मंडल L.I.G 08/284 हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना के द्वारा 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेण्डर एवं उन्नीस किलो के गैस सिलेण्डर से गैस निकाल कर अवैध व्यापार के आरोप में आरोपी बनाया गया। आरोपी को नोटिस निर्गत करते हुए, उन्हें अपना पक्ष साक्ष्य सहित दिनांक 16.08.2012 को न्यायालय में रखने का निदेश दिया गया। विपक्षी (आरोपी) के द्वारा दिनांक 25.01.2014 को नोटिस प्राप्त किया गया। उसके पश्चात् भी आरोपी (विपक्षी) के द्वारा जप्त गैस सिलेण्डरों के पक्ष में अपना साक्ष्य स्वरूप कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और न हीं न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। दिनांक 01.02.2015 को आरोपी (विपक्षी) के अनुपस्थित रहने के कारण आदेश दिया गया कि यदि विपक्षी उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो एक पक्षीय सुनवाई किया जायेगा। इसके पश्चात् भी दिनांक 10.04.2015 से 16.03.2018 तक लगातार 17 (सत्रह) तिथियों से अनुपस्थित हैं। जिससे स्पष्ट है कि आरोपी को संबंध में कुछ नहीं कहना है। अभिलेख पर उपलब्ध कागजात को परिशीलन किया एवं विशेष लोक अभियोजक को सुना। विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि आरोपी के	

द्वारा नोटिस प्राप्ति के पश्चात् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही वे लगातार अनुपस्थित रहे हैं। उक्त के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विपक्षी को न तो इस वाद में रूचि है और न ही उनके पास कोई साक्ष्य है।

विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन को आदेश दिया जाता है कि पत्रकार नगर (कंकड़बाग) थाना कांड सं0 299/11 में जप्त गैस सिलेण्डरों के गैस को गैस कम्पनी से बिक्री कराकर, खाली गैस सिलेण्डर को सम्बन्धित कम्पनी को हस्तगत करा दें तथा बिक्री से प्राप्त पूर्ण राशि को सरकारी खजाने में कोषागार चालान से जमा कराकर, चालान की मूल प्रति को अपने कार्यालय के अभिलेख में, संधारित कराकर, उक्त चालान की एक छाया-प्रति को, स्व0 अभिप्रमाणित कर, न्यायालय में अवश्य ही भेज देंगें।

लेखापित एवं संशोधित।

16/7/18   16/7/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।   समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।